

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

श्रीमती वराम

बनाम कैलाश

केसम मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 06/2022

तारीख हुक्म हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

07/01/21

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती वराम

पत्नी पति श्री हेमराज जाट

2022
15

निवासी- तुम्बडिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम तुम्बडिया स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 194, 195 0.38 0.10

कुल कीता 2 कुल रकबा 0.4800 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम तुम्बडिया स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 194, 195 0.38 0.10

कुल कीता 2 रकबा 0.4800 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 500=00 रुपये अक्षरे पालना ली रम्यर प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

(श्याम सुन्दर विश्वा) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़

क्रमांक / सरिश्ता / प्रा.पत्र 06/2022/07

दिनांक 10/01/22

तहसीलदार
चित्तौड़गढ़

विषय : पत्थरगढ़ी करने के सम्बन्ध में।

प्रकरण : श्रीमती बदाम पत्नी हेमराज जाट 150 तुम्बडिया
कनाम — शर्मा
1- कैलाश चिता रामचन्द्र शर्मा 150 तुम्बडिया
2- कालू चिता उदयराम गाडरी 150 तुम्बडिया
3- लेहरू चिता पृथ्वीराज जाट 150 तुम्बडिया
4- लक्ष्मण चिता मिठू जी जाट 150 तुम्बडिया
5- अमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़
— विमर्शीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट

उपरोक्त विषयाकित अनवान के प्रकरण में ग्राम तुम्बडिया खतौनी सं. 171
सम्बत् 2070-2073 में अकित आराजी नम्बर 194, 195
कुल किता 2 रकबा 0.4800 है। भूमि की
नियमानुसार मौके पर विवाद रहित पाये जाने पर कब्जे में दखलन्दाजी किये बिना
पक्षकारों को सूचना देकर सीमाकन (पत्थरगढ़ी) कर दिया जावे। खर्चा कमिश्नर
शुल्क रूपये 500-00 अक्षरे पांच ली शर्कर मात्र प्रार्थी
वहन करेगें। पालना रिपोर्ट न्यायालय में (15 दिवस में) शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं
चित्तौड़गढ़
चित्तौड़गढ़ (राज.)